COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

6 (11)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /2018 निगरानी PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2018/0660

राजकुमार टांक पिता प्यारचन्द टांक, आयु 45 वर्ष, धंधा–कृषि निवासी– ग्राम सरवानिया महाराज तहसील जावद जिला नीमच म.प्र. ....निगरानीकर्ता

प्राथी ... श्री लखन जाधव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 06/01/2018
06.01.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

घनश्याम पिता घीसालाल राठौर, आयु 45 वर्ष, निवासी– ग्राम सरवानिया महाराज तहसील जावद जिला नीमच म.प्र. ....उत्तरदाता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

व्यथित आदेश दिनांक 09/11/2017 न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन के प्रकरण क्र. 662/अपील/2016–17, राजकुमार विरूद्ध घनश्याम में पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

13/02/18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भूरा/2018/0660

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री लखन जाधव द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दि09-11-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा बिना व्यपवर्तन कराये अपनी भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने से संहिता की धारा 59 के तहत निर्माण आदि करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर भूमि का भू-भाटक निर्धारण किया गया है तथा आवेदक अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रश्नाधीन आदेशों में क्या विधिक त्रुटि की गई है, बताने में असफल रहा है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप को कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	